

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्डआपराधिक प्र0क0 763/10संस्थित दिनांक-06.12.10

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-मौ

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

**विरुद्ध**

मिन्टू उर्फ केशवसिंह पुत्र थानसिंह चौहान

उम्र 36 साल निवासी नादरिया माता मंदिर के पास

गुडागुडी थाना कपू जिला ग्वालियर

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 22.02.18 को घोषित}

अभियुक्त पर आयुध अधिनियम 1959 (जिसे अत्र पश्चात "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25-(1-ख)(क) के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 31.07.10 को 17:30 बजे शंकरपुरा पुलिया के पास सेवढा रोड मौ पर अपने आधिपत्य में एक 12 बोर दुनाली बंदूक मय 21 जिंदा कारतूस रखा, जिसको रखने का उसके कोई लाइसेंस नहीं था।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि थाना मौ में पदस्थ तत्कालीन थाना प्रभारी जे0आर0 जुमनानी को दिनांक 31.07.10 को सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा मौ व्यास मौहल्ला का हरिओम सोनी लायसेंस बंदूक को अपराध करने की नियत से किराए पर देता है। उसे सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त मिन्टू चौहान उक्त बंदूक और कारतूस लेकर गया है। उक्त सूचना से मय हमराह फोर्स शंकरपुरा पुलिया के पास गया, वहां साक्षियों को मुखबिर की सूचना से अवगत कराया। एक लडका शाम 5:10 बजे तौलिया से मुंह बांधे बस स्टेण्ड तरफ से आता दिखा, जिसे रोकने का इशारा किया तो वह मरघट तरफ भागने लगा तो उसे साक्षियों के समक्ष मय एक 12 बोर की बंदूक कंधे पर टांगे एवं कमर में 21 जिंदा कारतूस का पट्टा बांधे मय मोटरसाईकिल पकड़ा। अभियुक्त से बंदूक रखने का लायसेंस पूछे जाने पर लायसेंस न होना बताया। साक्षियों के समक्ष जब्ती पत्रक तथा गिरफ्तारी पत्रक बनाए। इसके अलावा अभियुक्त की तलाशी लेने पर एक नोकिया मोबाईल तथा 1405/-रूपये प्राप्त हुए। तत्पश्चात् अभियुक्त को थाने लाकर अप0क0 89/10 पंजीबद्ध किया। दौराने अनुसंधान साक्षियों के कथन लेख किए गए, बंदूक की जांच कराई गयी। अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गयी, बाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द0प्र0स0 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा झूठा फसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं क्या अभियुक्त ने दिनांक 31.07.10 को 17:30 बजे शंकरपुरा पुलिया के पास सेवढा रोड मौ पर अपने आधिपत्य में एक 12 बोर दुनाली बंदूक मय 21 जिंदा कारतूस रखा, जिसको रखने का उसके कोई लाइसेंस नहीं था ?

**-:: सकारण निष्कर्ष ::-**

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में जितेन्द्र यादव असा0 1, विनोद कुमार यादव अ0सा0 2, शिवनारायण यादव असा0 3, एम0एल0 मौर्य अ0सा0 4, सुरेश दुबे असा0 5, योगेन्द्रसिंह कुशवाह अ0सा0 6, जे0आर0 जुमनानी अ0सा0 7 को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गयी है।

6. प्रकरण में जब्तीकर्ता अधिकारी जे0आर0 जुमनानी अ0सा0 7 है जो अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि दिनांक 31.07.10 को थाना मौ में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को उन्हें मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा मौ का हरिओम सोनी अपनी लायसेंसी बंदूक अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को देता है और आज उसने अपनी लायसेंसी 12 बोर की बंदूक तथा कारतूस अमायन के शातिर अपराध मिन्टू उर्फ केशवसिंह को दी है, जो किसी अपराध करने की नियत से कस्बा मौ में घूम रहा है। उक्त सूचना से उनके द्वारा रोजनामचा सान्हा 1057 पर दर्जकर हमराह फोर्स के साथ शंकरपुर की पुलिया के पास जाकर चैक किया तो करीब 17:30 अर्थात शाम 5:30 बजे मिन्टू उर्फ केशव एक मोटरसाईकिल से आता दिखा जिसे रोकने की कोशिश की तो कच्चे रास्ते में डालकर भागने को हुआ, जिसे हमराह फोर्स के साथ मौके पर पकड़ा। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक 12 बोर की दुनाली छोटी कटी नाल की जिसके बैरल के नीचे नया कश्मीर सिंडीकेट 27275-06 लिखा था जिस पर काले रंग की रेग्जीन लगी थी। एक काले रंग की बिल्डोरिया जिसमें 12 बोर के 21 कारतूस जिंदा, एक मोटरसाईकिल काले रंग की हीरोहोण्डा पैंशन जिस पर एम0पी0-07 के0जी0-2737 प्लेट लगी थी, अभियुक्त से मौके पर मौजूद गवाह जितेन्द्र व विनोद के सामने जब्त कर जब्ती पत्रक प्र0पी0 1 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताते हैं। तत्पश्चात् अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिर0 पत्रक प्र0पी0 2 बनाए जाने जिस पर सी से सी भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। साक्षी उनके द्वारा तस्दीक पंचनामा आर्म लायसेंस के संबंध में प्र0पी0 3 बनाए जाने का कथन करते हैं और उस पर भी सी से सी भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। इसके उपरांत थाने पर अभियुक्त को मय माल लाकर रोजनामचा सान्हा में प्रविष्टि करने का कथन करते हैं। उक्त रोजनामचा सान्हा प्र0पी0 7 के रूप में प्रमाणित करते हैं। इसके बाद अप0क्र0 89/10 पंजीबद्ध किए जाने, प्राथमिकी प्र0पी0 8 पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं।

7. प्रकरण में जब्तीकर्ता अधिकारी के द्वारा जब्ती की कार्यवाही जितेन्द्रसिंह एवं विनोद कुमार यादव के समक्ष करना बताई है, जिन्हें अभियोजन की ओर से क्रमशः अ0सा0 1 व अ0सा0 2 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जितेन्द्रसिंह यादव अ0सा0 1 अपने अभिसाक्ष्य में उनके समक्ष पुलिस द्वारा किसी बंदूक व कारतूस को जब्त किए जाने के तथ्य से इंकार करते हैं। वे अभियुक्त को पहचानने से भी इंकार करते हैं। विनोद अ0सा0 2 भी अ0सा0 1 के समान ही अभियुक्त को पहचानने से इंकार करते हैं एवं उनके समक्ष अभियुक्त के आधिपत्य से बंदूक व कारतूस की जब्ती होने के तथ्य से इंकार करते हैं। यद्यपि उक्त दोनों ही साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में प्र0पी0 1 व 2 पर क्रमशः ए से ए व बी से बी भाग पर हस्ताक्षर होना स्वीकार करते हैं। प्रतिपरीक्षण में थाने पर कोरे कागजों पर हस्ताक्षर किए जाने का कथन करते हैं। अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि किसी स्वतंत्र साक्षी ने अभिकथित घटना का समर्थन नहीं किया है, इस कारण से अभियोजन का मामला संदिग्ध है। प्रकरण में यद्यपि उक्त दोनों ही कार्यवाही के साक्षीगण पक्षविरोधी कर दिए गए हैं, किन्तु ऐसा कोई साक्ष्य का नियम नहीं है कि पुलिस साक्षियों की अभिसाक्ष्य पर अविश्वास किया जाए, बल्कि उक्त साक्ष को भी साधारण साक्ष्य की भांति विश्लेषित किए जाने की आवश्यकता होती है।

8. न्यायालय का ध्यान न्यायनिर्णय- राजाखिरना विरुद्ध स्वराष्ट्र राज्य ए आई आर 1954 एस सी पेज 217 में अभिनिर्धारित किया है कि सामान्यः न्यायालय यही उपधारणा करेगी कि पुलिस द्वारा जो कार्य किया गया है वह सही रूप से किया गया है। पुलिस अधिकारी के द्वारा किये गये कार्य को अविश्वास की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। न्यायदृष्टांत- मदन सिंह विरुद्ध राजस्थान राज्य ए आई आर 1978 एस सी 1511, अनिल एलेसिस अन्ताया सदाशिव नन्दोस्कर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य एआई आर 1996 एस सी 2943 तथा ताहिर बनाम स्टेट आफ दिल्ली ए आई आर 1996 एस सी 3079 में यह सिद्धांत परिपादित किया कि मात्रपुलिस अधिकारी होने के कारण उसकी साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं होती जाती है यह साबित होना चाहिए कि क्यो झूठा मामला बनाया जाएगा यदि पुलिस अधिकारी के कथनो का समर्थन स्वतंत्र गवाहो ने किया तो फिर भी पुलिस अधिकारी का कथन यदि विश्वसनीय है तो ऐसी स्थिति में उसके आधार पर भी सजा दी जा सकती है।" हाल ही में मान0 म0प्र0 उच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत घनश्याम लक्ष्मीनारायण पाटीदार व अन्य विरुद्ध म0प्र0 राज्य 2016 किमनल लॉ जनरल 4937 में प्रतिपादित सिद्धांत उल्लेखनीय है। उक्त मामले में मान0 उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि विधि का सुस्थापित सिद्धांत यह है कि पुलिस अधिकारी की अभिसाक्ष्य पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है, जबकि न्यायालय का यह मत हो कि साक्षी सत्यवादी एवं विश्वसनीय है। इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा मान0 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत लूपचंद नारुजी जाट व अन्य विरुद्ध गुजरात राज्य (2004) 7 एस0सी0सी0 566, अब्दुल मजीद अब्दुल हक अंसारी विरुद्ध गुजरात राज्य (2003) 10 एस0सी0सी0 198 तथा पी0पी0 वीरन विरुद्ध केरल राज्य (2001) 9

एस0सी0सी0 57 पर आस्था व्यक्त की है। ऐसी दशा में न्यायालय को यह देखना है कि क्या जब्तीकर्ता अधिकारी जे0आर0 जुमनानी अ0सा0 7 की अभिसाक्ष्य विश्वसनीय हैं।

9. प्रकरण में जब्तीकर्ता अधिकारी जे0आर0 जुमनानी अ0सा0 7 प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार करते हैं कि कथित बंदूक हरिओम सोनी की थी, किन्तु उक्त बंदूक को हरिओम सोनी के घर से जब्त किए जाने के तथ्य से इंकार करते हैं। साक्षी इस तथ्य से भी इंकार करते हैं कि हरिओम ने अभियुक्त मिन्टू से अपने घर से बंदूक मंगवाई थी और उसका कैस असत्य रूप से उस पर लगा दिया। इस सुझाव से भी इंकार करते हैं कि बंदूक चैक करने के बहाने मंगाकर अभियुक्त मिन्टू के विरुद्ध असत्य अपराध पंजीबद्ध कर दिया है। इस प्रकार से साक्षी के प्रतिपरीक्षण में मात्र एक तथ्य महत्वपूर्ण है कि अभिकथित बंदूक हरिओम सोनी नाम के व्यक्ति की थी। जहां प्रकरण में जब्ती कार्यवाही के साक्षीगण ने मामले का समर्थन नहीं किया है, वहीं दूसरी ओर पुलिस कार्यवाही की अनन्यता के संबंध में जे0आर0 जुमनानी अ0सा0 7 प्रपी0 7 के रोजनामचा सान्हा को प्रकरण में प्रमाणित करते हैं। उक्त रोजनामचा सान्हा में सुसंगत सान्हा क्र0 1057 पर कथित सूचना, 1058 पर मय फोर्स की खानगी तथा 1060 पर वापसी का उल्लेख है। प्रपी0 8 की प्राथमिकी में सुसंगत रोजनामचा सान्हा क्र0 1057 पर खानगी किए जाने का स्पष्ट उल्लेख है। साथ ही यहां ध्यान देने योग्य है कि अभियुक्त से न केवल बंदूक व कारतूस, इसके अतिरिक्त एक काले रंग की हीरो होण्डा पेशन मोटरसाइकिल जिस पर एम0पी0-07 के0जी0-2737 प्लेट लगी होने और इंजन नंबर 021421एम34934 तथा चैसिस नंबर 02एच21सी37091 लेख होने एवं जामा तलाशी में प्र0पी0 2 के गिर0 पत्रक अनुसार नोकिया मोबाइल जिसमें सिम नंबर 8120956500 लगे होने तथा पर्स जिसमें 1405/-रुपये प्राप्त होना दर्शाया गया है, ऐसी दशा में उक्त संपत्ति की जब्ती का तथ्य अभियोजन के मामले को सुदृढ़ बनाता है।

10. प्रकरण में हमराह फोर्स के रूप में साक्षी शिवनारायण यादव अ0सा0 3 को परीक्षित कराया गया है, जो जे0आर0 जुमनानी अ0सा0 7 के कथनों की पुष्टि करते हुए कथन करते हैं कि दिनांक 31.07.10 को वे थाना प्रभारी के साथ मय फोर्स शासकीय वाहन से स्योढा रोड पर गए थे। शंकरपुरा पुलिस के पास उन्हें थाना प्रभारी ने बताया कि संदिग्ध व्यक्ति के आने की सूचना मिली है तब 5-5:15 बजे एक व्यक्ति स्योढा रोड पेटरोल पंप तरफ से आ रहा था, जिसके पास से 12 बोर की बंदूक छोटे साइज की, कमर में कारतूस का पट्टा प्राप्त होने का कथन करते हैं। साथ ही बंदूक, कारतूस मय 21 राउण्ड, एक नोकिया मोबाइल और पर्स में रखे कुछ रुपये जब्त किए जाने के संबंध में कथन करते हैं। इस प्रकार से जब्तीकर्ता अधिकारी की अभिसाक्ष्य की पुष्टि करते हैं। प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में स्वीकार करते हैं कि कथित बंदूक हरिओम सोनी की थी। साक्षी इस सुझाव से इंकार करते हैं कि हरिओम सोनी के घर पर कोई आवासीय महिला थी और वहां से बंदूक जब्त की



गई। इसके अतिरिक्त उसके प्रतिपरीक्षण में कोई भी ऐसा तथ्य प्रकट नहीं हुआ है जो अभियुक्त के प्रति अभियोजन के मामले में संदेह उत्पन्न करता हो।

11. प्रकरण में अन्य साक्षी एम0एल0 मौर्य अ0सा0 4 भी घटना दिनांक को थाना प्रभारी के साथ होने का कथन करते हैं। चैकिंग में एक व्यक्ति के कंधे पर बंदूक डालकर आने और रोकने पर भागने का कथन करते हुए उक्त अभियुक्त को थाना प्रभारी द्वारा पकड़े जाने, उसके पास से 12 बोर की दुनाली बंदूक, 21 कारतूस व मोटरसाईकिल जब्त किए जाने का कथन करते हैं। प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करते हैं कि बंदूक हरिओम सोनी की थी। यह साक्षी इस सुझाव से इंकार करते हैं कि कथित बंदूक हरिओम सोनी के घर से उठाकर अभियुक्त से जब्त होना दर्शाई है और शिकायत से बचने के लिए अभियुक्त के विरुद्ध झूठा केस लगाया है। इस प्रकार से साक्षी द्वारा सारतः जब्तीकर्ता अधिकारी के कथन की पुष्टि की है।

12. प्रकरण में मुख्य रूप से अभियुक्त का यह बचाव है कि कथित बंदूक व कारतूस पुलिस द्वारा हरिओम सोनी नाम के व्यक्ति के घर से जब्त की थी और अभियुक्त को अपराध में लिप्त कर दिया है। प्रकरण में यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि कथित बंदूक लायसेंसी थी जो कि न्यायालय के आदेश से हरिओम सोनी को अंतरिम रूप से सुपुर्दगी पर लौटाई जा चुकी है। अभियोजन पक्ष ने प्रकरण में हरिओम सोनी को कथित रूप से बंदूक अपराध के लिए दिए जाने के संबंध में दोषी न पाते हुए उसके विरुद्ध अभियोगपत्र प्रस्तुत नहीं किया, किन्तु उसे अभियोजन की ओर से साक्षी भी नहीं बनाया गया। प्रकरण में यह भी ध्यान देने योग्य है कि यदि हरिओम सोनी की बंदूक अभियोग पत्र एवं संलग्न कथनों के अनुसार अभियुक्त मिनटू उर्फ केशव घर से उठा ले गया था तो उसके द्वारा घटना दिनांक या इसके पूर्व इस बात की कोई शिकायत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष की थी, प्रकरण में इस तथ्य का अभाव है। इस प्रकार से कथित हरिओम सोनी के विरुद्ध अभियोजन पक्ष द्वारा कार्यवाही न किया जाना त्रुटिपूर्ण था, किन्तु अभियोजन की उक्त त्रुटि का लाभ अभियुक्त मिनटू प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह सारवान रूप से अभिलेख पर युक्तियुक्त रूप से सिद्ध हुआ है कि अभियुक्त मिनटू उर्फ केशव द्वारा एक 12 बोर की दुनाली बंदूक मय 21 कारतूस के बिना उसके पक्ष में वैधानिक अनुज्ञप्ति के संधारित की थी।

13. प्रकरण में सुरेश दुबे अ0सा0 5 आरमोरर है जो जब्तशुदा 12 बोर की दोनाली बंदूक एवं कारतूसों के जांच कर्ता हैं। उक्त साक्षी बंदूक फायर योग्य होने तथा कारतूसों को फायर योग्य होने का कथन करते हुए अपनी जांच रिपोर्ट प्र0पी0 5 बताकर उस पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। योगेन्द्रसिंह अ0सा0 6 अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी द्वारा विधिवत अभियोजन स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में सारवान कथन करते हैं। अभियोजन स्वीकृति प्र0पी0 6 बताकर ए से ए भाग पर जिला दण्डाधिकारी व बी से बी भाग पर

अपने लघु हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। जिला दण्डाधिकारी के हस्ताक्षर के संबंध में इस साक्षी का अभिसाक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधि० 1872 की धारा 47 के अधीन पूर्णतः सुसंगत एवं समर्थनकारी है।

14. इस प्रकार से उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन पक्ष यह तथ्य प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 31.07.10 को 17:30 बजे शंकरपुरा पुलिया के पास सेवढा रोड मौ पर अपने आधिपत्य में एक 12 बोर दुनाली बंदूक मय 21 जिंदा कारतूस रखा, जिसको रखने का उसके कोई लाइसेंस नहीं था। अतः अभियुक्त को अधिनियम की धारा 25 (1-बी) ए के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है।

15. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारहीन किए गए। उसे अभिरक्षा में लिया गया।

16. अभियुक्त का कृत्य स्वेच्छा पूर्वक अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञप्ति के आग्नेय आयुध संधारित किए जाने के आधार पर दोषी पाया गया है, ऐसे में उन्हें परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त व उनके विद्वान अभिभाषक को सुने जाने हेतु निर्णय लेखन कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

ए०के० गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

#### पुनश्च:

17. अभियुक्त एवं उनके विद्वान अभिभाषक को सुना गया। उन्होंने अभियुक्त की प्रथम दोषसिद्धि का कथन करते हुए अभियुक्त के नवयुवक एवं मजदूर होने के आधार पर उसके अभिरक्षा में बिताई गयी अवधि को देखते हुए उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया है। अभियोजन को भी सुना गया।

18. अभियुक्त यद्यपि अभियोजन दस्तावेजों के अनुसार नवयुवक होने का तथ्य अभिलेख पर है, किन्तु उसके द्वारा ज्ञानयुक्त आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के अपराध कारित करने के आशय से बड़ी मात्रा में आग्नेय आयुध संधारित किए जाने के संबंध में आरोप प्रमाणित पाया गया है। चंबल क्षेत्र में अवैध हथियारों से अपराधों को कारित किए जाने की प्रवृत्ति तीव्रता से बढ़ रही है जिसे हतोत्साहित किए जाने का प्रयास प्रत्येक स्तर पर आवश्यक है ऐसे में अभियुक्त को अधिनियम की धारा 25-(1बी) (ए) के अधीन न्यूनतम उपबंधित सजा **दो वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को **एक माह** का सश्रम कारावास भुगताया जावे।

19. अभियुक्त से जब्तशुदा आग्नेय आयुध बंदूक एवं कारतूस पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः अपील अवधि पश्चात् सुपुर्दगीनामा निरस्त समझा जावे तथा शेष संपत्ति के संबंध में अभिलेख पर कोई दस्तावेज नहीं हैं तथा अभियुक्त ने भी जानकारी न होना बताया है। अतः उसके संबंध में थाना प्रभारी से जानकारी मंगाया जाकर उसका निराकरण प्रथक से किया जावेगा।

20. अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि के संबंध में दफ्तर की धारा 428 का प्रमाणपत्र आवश्यक रूप से संलग्न किया जावे। अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि यदि कोई रही हो तो वह दी गयी सजा में समायोजित की जावे।

21. निर्णय की एक प्रति अविलंब अभियुक्त को प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश